

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक व्यावसायिक संस्था)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

14, डॉ बिरेश गुहा स्ट्रीट, कोलकाता-700 017, भारत

The Indian Science Congress Association

(Professional Body under Department of Science & Technology,

Ministry of Science & Technology, Government of India)

14, Dr.Biresh Guha Street, Kolkata-700017, INDIA

रेलवे रियायत

यदि किसी सदस्य को रेलवे रियायत प्रमाण - पत्र की आवश्यकता हो तो वह इस पत्र को महासचिव (सदस्यता कार्य) के पास भेजे। यह रेलवे बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

प्रेषक (सुस्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) :

पता:

दिनांकित:.....

सेवा में,

महासचिव (सदस्यता कार्य),

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था,

14, डॉ. बिरेश गुहा स्ट्रीट, कोलकाता - 700 017

महोदय,

3-7 जनवरी 2021 में पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड विश्वविद्यालय) में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108 वां सत्र में मैं उपस्थित रहना चाहता / चाहती हूँ इसीलिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप एक प्रमाण - पत्र जारी कर दें ताकि मैं रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये के अनुसार टिकट की वापसी पर भुगतान हेतु..... से पुणे तक की अपनी यात्रा के दौरान रेलवे रियायत का लाभ उठा सकूँ।

* 1. मैं केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार का सेवक हूँ।

* 2. मैं केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार का सेवक नहीं हूँ।

* 3. मेरे यात्रा के खर्च केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार द्वारा नहीं उठाये जायेंगे।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी कुल आय / परिलब्धियां रु. 5000 प्रति माह से अधिक नहीं हैं (इस हेतु प्रमाण पत्र के रूप में वेतन प्रमाणपत्र / पर्ची या संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है)।

भवदीय,

हस्ताक्षर

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की सदस्यता संख्या

* जो मद आवदेक पर लागू नहीं होते उन्हें आवदेक द्वारा निश्चित रूप से काट दिया जाना चाहिए, अन्यथा रियायत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

ध्यान दीजिए :

(i) सरकारी कर्मचारी आदि जिनके यात्रा व्यय केंद्र / राज्य या स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम या नगर पालिका या एक विश्वविद्यालय जैसे सांविधिक प्राधिकरण आदि द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वहन किया जाता है, वह रेलवे रियायत के हकदार नहीं हैं, और यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वे रियायत के मांग नहीं करें। (ii) फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को रियायत प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा यदि वह मद को काट दें (iii) उपर्युक्त यदि किसी के यात्रा के खर्चों को पूर्णतः या अंशतः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार द्वारा उठाया जा रहा है।

संक्षेप में, यदि कोई व्यक्ति मद (iii) की हकदार होने के मांग करता है तो उस पर मद (i) या मद (ii) के साथ- साथ आय संबंधी शर्तें भी लागू होने पड़ेगी। वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।